# न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला- झाँसी।

**दाण्डिक वाद सं०- 1385/ 2022**

**जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 355 / 2022**

**सरकार** **बनाम** **रामकान्त।**

धारा- 279,337,338 भा०दं०सं०
थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झांसी
मु०अ०सं०- 159/ 2021

**दिनांक- 11- 10- 2022**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त **रमाकान्त पुत्र शिवदयाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 159/ 2021 अन्तर्गत धारा- 279,337,338 भा०दं०सं० थाना- टोड़ीफतेहपुर, जिला- झांसी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सहायक विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से आख्या प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त को रंजिशन व झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। अभियुक्त द्वारा लापरवाही पूर्वक तेजगति से वाहन चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की है। थाना पुलिस टोड़ीफतेहपुर ने झूंठा मुकदमा दर्ज किया है। घटना के तथ्य एवं परिस्थितियां काबिल जमानत है। प्रार्थी/ अभियुक्त एक गरीब मजदूर व्यक्ति है, उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त उचित राशि का मुचलका देने को तैयार है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

**माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था राशिक लाल बनाम किशोर खानचंद वाडवानी 2009( 4) SSC 446 के अन्तर्गत उक्त अपराध जमानतीय प्रकृति का है एवं उक्त मामले में अभियुक्त जमानत अधिकार के रूप में पाने योग्य है।**

**धारा 436 दं. प्र. सं. एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित नजीरों के प्रकाश में यदि अभियुक्त पर जमानतीय धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, तो वह जमानत अधिकार के रूप में पाने योग्य है।**

मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है।

## आदेश

प्रार्थी/ अभियुक्त **रमाकान्त पुत्र शिवदयाल** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा **मु० बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जावें।

**( सुनील शेखर)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झाँसी।